तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित
1	2	3

05.09.2019

न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज।

मुटेशन अपील वाद सं0–13/12–13

राज कुमार साह–बनाम–राजेश प्रसाद गोंड वगैरह

अपीलार्थी

राज कुमार साह, पिता–स्व0 मन्नु साह, सा0–पुरानी साहेबगंज, थाना–साहेबगंज (नगर), जिला–साहेबगंज।

विपक्षीगण

1. राजेश प्रसाद गोंड, पिता–स्व0 जवाहर प्रसाद गोंड, साकिन–सकरीगली, थाना–साहेबगंज (मु0),जिला–साहेबगंज।
2. विश्वनाथ साह, पिता–स्व0 मन्नु साह, सा0–पुरानी साहेबगंज, थाना–साहेबगंज (नगर),जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

यह अपीलवाद अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन–पत्र के आलोक में दिनांक–22.02.13 को अंचलाधिकारी, साहेबगंज के मुटेशनवाद के आदेश तिथि–25.03.2010, मुटेशन वाद सं0–1172/09–10 के विरूद्व दायर किया गया। अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर बिलम्बक्षान्त हेतु आवेदन पत्र पर सुनने के पश्चात् बिलम्बक्षान्त करते हुए अपीलवाद को अंगीकृत किया गया। विपक्षी (उत्तरवादी) को न्यायालय द्वारा नोटिस करते हुए तामिला कराई गई तथा अंचलाधिकारी, साहेबगंज से उक्त मुटेशनवाद मूल अभिलेख की मांग की गई। अं0अ0 साहेबगंज ने पत्रांक–129/रा0, दिनांक–26.02.16 द्वारा इस न्यायालय को याचित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया गया। मूल अभिलेख की प्राप्ति पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन नानाजी एवं नानीजी के द्वारा दिया गया है जो बिल्कुल गलत और अवैध है।

इसके उत्तरस्वरूप विपक्षी नं0–01 एक (उत्तरवादी) के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी के पिता जो विपक्षी नं0–01 एक का नानाजी है साथ ही दान किया गया जमीन का खतियानी रैयत है–ने अपने नाती की सेवा–टहल से खुश हो कर मौजा–पुरानी साहेबगंज, (मदनशाही टपुआ) ज0नं0–442, रकवा–00–01–10 (एक कट्ठा दस धूर) धूर जमीन को दान पत्र (पंचनामा) द्वारा दिनांक–25.04.01 को लिखकर दे दिया, जो बिल्कुल सही और वैध है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का पुनः कहना है कि दान पत्र अनिबंधित है, अतएव अंचल अधिकारी द्वारा गलत मुटेशन किया गया है।

इसके जवाब में विपक्षी नं0–01 एक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मुटेशन करने का अधिकार अंचल अधिकारी को है जो नियमतः सही मुटेशन किया गया है क्योंकि Dakhil Kharij के नियम पेज–66, Clause 12, एवं 13 का उद्वहरण निम्न प्रकार हैः–

12 आपसी या अदालतन बंटवारा या वसीयती या गैरवसीयती उत्तराधिकार, अंतरण, बदलैन, करार, बन्दोबस्त, पट्टा, बंधक, दान या किसी अन्य साधन के जरिए हित का दावा करनेवाला व्यक्ति द्वारा अंचल अधिकारी के यहां आवेदन पत्र दाखिल किया जाना। –किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, उस क्षेत्र में आपसी या अदालतन बंटवारा या वसीयती या गैर वसीयती उत्तराधिकार, अंतरण, बदलैन, करार, बन्दोबस्त, पट्टा, बंधक, दान या किसी अन्य साधन के जरिए किसी जोत या उसके भाग में हित रखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उक्त

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2

हित के प्रोदभूत होने के तीन महीना के अन्दर उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी के यहां, जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त भूमि स्थित है, सिलसिलेवार खतियान और काश्तकार–लेजर रजिस्टर में उस जोत या उसके भाग के संबंध में अपना नाम दाखिल–खारिज करवाने के लिये विहित फारम में आवेदन पत्र दाखिल करेगा और उक्त आवेदन पत्र की प्राप्ति पर अंचल अधिकारी, उस व्यक्ति को रसीद देगा।

13. मुखिया, अंचल निरीक्षक या कर्मचारी द्वारा अंचल अधिकारी, को बंटवारे के मामलों या वसीयत या गैर वसीयत उत्तराधिकार या किसी अन्य साधन के जरिए अर्जन की रिपोर्ट किया जाना।–अपने क्षेत्राधिकार के भीतर के गांवो में अपने भ्रमण के दौरान मुखिया, अंचल निरीक्षक या कर्मचारी किसी जोत या उसके भाग में बंटवारा, वसीयती या गेरवसीयती उत्तराधिकार या किसी अन्य साधन के जरिए हित के अर्जन के मामलों की जानकारी लेगा और तत्काल उसे विहित फारम में अंचल अधिकारी, को प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार और भी नियम है यथा Indian Bridence Act-(page-513) Section 13 (a) तथा Indian evidence Act-(page-22) Section 32 (7)। इस तरह अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा किया गया मुटेशन वाद सं0–1172/2009–10, आदेश तिथि–25.03.2010 बिल्कुल सही और वैध है।

पुनः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अंचल द्वारा किया गया नोटिस पर विपक्षी नं0–02 (विश्वनाथ साह) का हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है तथा–16/आना रैयत का नोटिस अन्य पक्षों को नहीं दिया गया कि मुटेशन किया जा रहा है।

इसके उत्तरस्वरूप विपक्षी नं–01 एक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी नं0–02 (विश्वनाथ साह, पिता–स्व0 मन्नु साह) कि पत्नी साथ में न रह कर मालदा में घर बनाकर रहने लगी। इसलिए अपने सास–ससूर की देख–माल नहीं करती थी। दूसरा भाई राज कुमार साह, (अपीलार्थी–पिता–स्व0 मन्नु साह) सरकारी नौकरी करते थे एवं अपने बाल–बच्चों के साथ बाहर रहते थे। इसलिए अपने वृद्ध माता–पिता का देखभाल नहीं करते थे। दातागण ने अपने देख–भाल एवं सेवा–टहल के लिए विपक्षी नं0–01 एक को अपने साथ बचपन से रखा तथा दातागण के संरक्षण में पढाई–लिखाई करते हुए दातागण की देख–भाल करने लगा। जब दातागण काफी वृद्ध हो गये तो अपने नाती को उक्त विवादित जमीन Gift कर दिया। कहने का तात्पर्य कि जब रैयत के वंशज बाहर रहेगें तो–16/आना रैयत के नोटिस पर हस्ताक्षर कैसे होगा। अतएव विवादित मौजा के–16/आना रैयत को आपत्ति नोटिस किया गया है जिसमें अनेकों व्यक्तिगण का हस्ताक्षर मौजूद है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी नं0–01 एक विवादित भूमि में पक्का का मकान बना कर रहा है जिसके लिए विपक्षी नं0–02 दो ने अनुमंडल न्यायालय, साहेबगंज में R.E (रैयति इमिकशन–उच्छेदीवाद) वाद सं0–20/11–12 चला जो खारिज हो गया।

इसके उत्तर में विपक्षी नं0–01 एक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि जब विपक्षी नं0–01 एक बचपन से ही अपने नानाजी एवं नानीजी के साथ रह रहा है और सारी पढ़ाई–लिखाई दातागण के संरक्षण में किया गया, फिर दि0–25.04.2001 को विवादित जमीन विपक्षी नं0–01 एक को Gift deed (पंचनामा) कर दिया गया। पुनः उसी विवादित जमीन में पक्का का मकान बना कर विपक्षी नं0 एक रहने लगा। इस तरह कानून 12 (बारह) वर्ष तक रहे हुए व्यक्ति को उच्छेद करना अवैध एवं गलत है। इस संबंध में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने स्वयं स्वीकारा है कि विपक्षी नं0–01 एक विवादित भूमि में पक्का का मकान बनाकर अनेकों वर्षों से रहते आ रहे है। विपक्षी नं0 एक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि का लगान रसीद भी उपलब्ध है। लगान रसीद की छायाप्रति वर्ष 2015–16 दाखिल किया गया है।

Scanned with CamScanner

एवं तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित
	2	3

विपक्षी नं0 एक के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि मुटेशन होने के $1\frac{1}{2}$ (डेढ़ साल) बाद अपील दायर किया गया है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को खारिज/रद्द करने योग्य है।

अतः उक्त सारी तथ्यों एवं उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं का सारी दलिलों के सुनने एवं कानून को ध्यान में रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा मौजा–पुरानी साहेबगंज (मदनशाही टपुआ), ज0नं0–442, तौजी नं0–407 एवं 408, रकवा–00–01–10 (एक कट्ठा दस धूर) धूर भूमि का मुटेशन विपक्षी नं0–01 एक (राजेश प्रसाद गोंड, पिता–स्व0 जवाहर प्रसाद गोंड) के नाम से किया गया है, जो बिल्कुल सही और न्यायसंगत है। अतएव अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, साहेबगंज का मुटेशन (नामान्तरण) वाद सं0–1172/2009–10, आदेश तिथि–25.03.2010 को बरकरार रखा जाता है। अपीलार्थी चाहे तो इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय जा सकते है। यह आदेश उभय पक्ष/उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को दिखाएं। अभिलेख की कार्रवाई बन्द (समाप्त) की जाती है।

अंतिम आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अंचलाधिकारी, साहेबगंज को वापस किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

5/9/19

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

5/9/19

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 35/डी.सी.; साहेबगंज, दि0 12.9.19

प्रतिलिपि :– अंचलाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :–

1. अंतिम आदेश की प्रतिलिपि।
2. नामान्तरण वाद सं.– 1172/2009-10 (राजेश प्रसाद गोंड, पिता– स्व0 जवाहर प्रसाद गोंड, सा0– पुरानी साहेबगंज) का मूल अभिलेख। कुल – 08 (आठ) पन्ने में।

12/9/19

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।
12.9.19

Scanned with CamScanner